REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE, BHOPAL

<u>In the Matter of</u>

'Tribunal on its own motion Suo Moto based on: News Item titled "jsr dh ,d gh o/kZ [knku blhfy, gkoh gS, ckyw ekfQ;k" **appearing in Kelo Pravah dated 23.04.2024'**

Original Application No.151/2024 (CZ)
&
Original Application No.617/2024 (PB)

Date of Site Inspection: 24th July, 2024

Location: District Raigarh, Chhattisgarh

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Background	01
2.	Constitution of Joint committee	01
3.	Term of reference to the Joint committee	01
4.	Meeting of the Joint committee	02
5.	Brief about Raigarh District	02
6.	Submission of the State Mining Department	02
7.	Status of the statutory requirements	03
8.	Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee	04
9.	Environmental Compensation	07
10.	Conclusion and Recommendations	09
11.	Recommendations for preventing illegal sand mining	09
12.	Other recommendations	10
13.	Photographs of the visit	11-14
14.	Annexures 01 to 06	15-55

1. Background:

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi took *suo-motu* cognizance of the present casebased on the newspaper clip titled "jr dh ,d gh o/k [knku blhfy, gkoh g, cky ekfQ;k" appearing in Kelo Pravah dated 23.04.2024'and registered in the Hon'ble NGT (PB), New Delhi as O.A. No.617 of 2024.

In the above matter, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its Order dated 29.05.2024 constituted a Joint Committee comprising of (i) Regional Officer, MoEF&CC, Raipur (ii) Representative of Member Secretary Chhattisgarh Environment Conservation Board (iii) District Magistrate, Raigarh and directed the said Committee to submit factual report within two months. Hon'ble Principal Bench transferred the matter to the Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal and the above matter is renumbered as O.A. No.151/2024(CZ).

2. Constitution of Joint Committee:

In compliance with the Order dated 29.05.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi and based on the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted by the District Collector Raigarh vide letter No.881 dated16.07.2024, comprising the following members:

(i). Dr.M.T.Karuppiah, Scientist-E, MoEF&CC,Sub-Office, Raipur.
(ii). Sh. Sameer Bada, Deputy Collector, Raigarh.
(iii). Sh. Ankur Sahu, Regional Officer, CECB Raigarh.

The Committee constitution letter dated 16.07.2024 is enclosed as **Annexure-1.**

3. Terms of reference (ToR) to the Joint Committee:

The Terms of Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 29.05.2024 of Hon'ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

(i). Committee shall visit the District Raigarh and ascertain the extent of illegal sand mining at different places including the one which are reported in the news item;

(ii). To assess the action taken against them for causing damage to the environment and for imposition of EC;

(iii). The Committee shall submit the report before Central Zonal Bench of the Tribunal within two months.

4. Meeting of the Joint Committee:

An introductory meeting of the Joint Committee was held on 24/7/2024 at Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh. During the meeting and subsequent site inspection held on 24/7/2024,Shri. Leeladhar Prasad Sahu, Asst. Mining Officer, Shri. Ashish Gadhpale, Mining Inspector, Raigarhwere also present. During the deliberation, concerned Officers of District Mining Department, Govt. of Chhattisgarh informed that presently permission has been accorded to one sand mining lease M/s Usraut sand mine located at village Usraut, Tehsil& District Raigarh on the bank of River Mand, which is tributary of River Mahanadi.

5. Brief about Raigarh District of Chhattisgarh:

Raigarh district is situated in the north eastern part of the Chhattisgarh. between Latitudes 21°20’21”:22°47’13”N and Longitudes82°55’36” : 83°42’16”E.Geomorphologically, the area of the district to the north of Mahanadi River exhibits landforms of low-level structural plateaus, structural plain, pediplain/pediment, denudational hills and valleys and the region of middle and high level plateaus. The younger flood plain (including infilled river beds) delineated along the course of the Mahanadi River. The area of the south of Mahanadi River exhibits land forms of structural hills and valleys, older flood plain, denudational slope, pediment/ pediplain and denudational hills and valleys. Physiographically the district forms a part of a Mahanadi basin drainedby the Mahanadi and its tributaries viz Mand, Kelo and Kurket. The general slope of the area to the north and south of Mahanadi River is towards south and north direction respectively. Kelo river originates from the Gharghoda Tehsil’s Ludeg hills of the district. River stretches of 107 km passing through Raigarh district. River Kelo and Mand flows from North to South. Mand River flows 35 km through Raigarh district of Chhattisgarh.

6. Submission of the Chhattisgarh State Mining Department:

District Mining Officers informed that presently approval has been accorded to one sand mine namely M/s Usraut Sand Mine located at village Usraut, Tehsil& District Raigarh, which is in operation. Copy of the Mine lease deed and environment clearance letter is enclosed as **Annexure-2.**The Chhattisgarh State Mining Department has already identified 22 suitable sites in the Raigarh district for sanctioning new sand mining leases and further action in this regard is under progress, which invariably useful to meet the demand of local people. Copy of the

above 22 identified suitable sites are enclosed as **Annexure-3.**Reportedly Officers of the Chhattisgarh State Mining Department carryout regular inspection at different locations of the district for prevention of unauthorized sand mining.As per Rule 21(4)(5) of MMDR, Act, 1957, State Mining Department seized the vehicles deployed and imposed penalty of Rs. 1,25,000/-(Rupees one lakh twenty-five thousand only) for the committed illegal mining of sand at Village-Kandagarh, Tehsil-Pussour, District-Raigarh and copy of the sameenclosed as **Annexure-4.**The adjudication process is still under process.The State Mining Department based on the site inspection held on 20.06.2024 seized about 3,000 m^3 of sand at Village-Usraut for storage of sand and the case is under process for imposition of penalty as per Rule 21(4)(5) of MMDR, Act, 1957. Copy of the same is enclosed as **Annexure-5**. As informed by the Chhattisgarh State Mining Department, though there is regular inspection of the different areas of the district, no other illegal sand mining case is reported yet.

7. Status of Statutory requirements:

In pursuance to the Order dated the 27th February, 2012 of Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease. Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined-out material from source to destination. Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government vide notification S.O.141(E) dated 15th January, 2016 made amendments in the EIA notification, 2006 incorporating District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category 'B2' for mining of minor minerals in the said Schedule.

The term 'minor mineral' is defined in clause (e) of Section 3 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR Act) 1957. 3 (e) "minor minerals" means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes and any other material which the Central

Government may, by Notification in the Gazette of India declare to be a minor mineral.The term `ordinary sand' used in clause (e) of Section 3 of the MMDR Act, 1957 has been further clarified in rule 70 of the MCR, 1960.

Accordingly, the Central Government had constituted the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), for grant of environmental clearance for Category 'B2' Projects for mining of minor minerals, for all the districts in the country. However, in compliance with the order dated 13.09.2018 of Hon'ble NGT-PB in O.A. No. 186 of 2016 titled Satendra Pandey Vs MoEF&CC&Ors., DEIAAs are not functioning, since October, 2018 and such projects are being dealt by the respective State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). As part of Post environmental clearance monitoring, MoEF&CC vide its notification S.O. 637(E) dated 28.02.2014 has delegated the powers to State/Union Territory Environmental Impact Assessment Authority to issue show cause notice to project proponent in case of violation of Conditions of Environmental Clearance issued by the said authority and to issue direction for keeping the said EC in abeyance or withdrawing it. Thus, for category 'B' projects SEIAAs are responsible for EC monitoring. Based on the information made available to the Committee, it has been observed that in the present case one environmental clearance has been accorded for sand mining in the alleged area under dispute.

Illegal Mining:In accordance with the Judgment dated 02.08.2017 of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India &Ors. any mining activities which are not governed under the provision of Environment (Protection) Act, 1986, The Water (Prevention & Control of Pollution Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, Forest Conservation Act, 1980, Wildlife Protection Act, 1972, shall be considered as illegal mining within the provision of section 21(5) of Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) and the concerned authority shall take necessary action within the provision of MMDR Act. As per the provision of 23(C) of MMDR Act, the State Government is empowered to make rules for preventing illegal mining, and transportation & storage of illegal minerals.

8. Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee:

(i) The Joint Committee visited Village–Usraut and other five places where sand availability has been reported by the State Mining Department namely Village-Tarapur, Bokramuda, Raniguda, Lebda and Kanchanpur

and observed considerable river flow in most of the stretches of River Mand due to prevailing monsoon season.

(ii) Committee also visited the village Kandagarh, where Mining Department already took action against the illegal sand mining. However, due to the prevailing monsoon season approach road was not in mortable condition, so the Committee has not been able to visit the exact location of the illegal sand mining area.

(iii) On the date of inspection, no tractors, dumpers, trollies and sand excavation activity were observed at the Mand River bank at Villages - Tarapur, Bokramuda, Raniguda, Lebda and Kanchanpur. No transportation of sand was observed by the Committee at the time of visit.

(iv) The google image of the M/s Usraut Sand Mine and photographs taken during the inspection are enclosed herewith. The geographical coordinates of the M/s Usraut Sand Mine site are Latitude 21053’54.13”N to 21053’54.59”N and Longitude 83016’29.18”E to 83016’33.58”E During the visit no mining activity was in progress. Reportedly the mining activity of the project has been temporarily halted from 10th June, 2024 to 15thOctober, 2024 as mandated during the monsoon season. However, Committee could see existence of few stacks of sand outside the lease area of the Project. In this regard, the State Mining Department has informed that action has been initiated against the Project Authority under the provisions of as per Rule 21(4)(5) of MMDR, Act, 1957.

(v) The lease holder of M/s Usraut Sand Mine has not obtained‘Consent to Operate’ (CTO) under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, the Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh has issued notice under section33 ‘A’ of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and u/s 31 ‘A’ Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 to lease holder seeking clarification for the sand mining operation without obtaining requisite ‘Consent to Operate’prior to the commencement of themining operation. Copy of the Notice dated 24.07.2024 of CECB is enclosed as **Annexure-6.**

Google Earth image of Usraut Sand Mine

(vi) Mining Department has already initiated the process for sanctioning of new mining leases. Accordingly, State Mining Department has already identified 22 sites for granting sand mine leases to meet the sand demand in the district.

(vii) No substantial information was found regarding the News Paper clipping claiming that price of sand in District -Raigarh have increased due to only one valid sand mine.

(viii) Part of the areas of the Raigarh District are scheduled area, in those area as per Rule (3) of Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for scheduled areas) Rules, 2023, quarrying and transportation of sand may be carried out in accordance with and subject to the conditions prescribed in these rules by Gram Panchayat/Urban body in the Scheduled areas of the State. As per Rule (4) for obtaining any sand quarry lease, the concerned Gram panchayat needs to submit an application in Form-1 to the Mining section of the concerned District. In accordance with sub-rule (4) of rule (8) of Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for scheduled areas) Rules, 2023, based on fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3) of rule (8), the Sanctioning Authority may grant quarry lease to the concerning Gram

Panchayat/Urban body. Rule 14 stipulates to form flying squads at district and directorate level for effective control on illegal Quarrying/transportation/ storage of ordinary sand and other minerals. However, as informed by the State Mining Department so far no sand quarry lease has been accorded to any Gram panchayat, since there is no any application received in this regard.

(9). Environmental compensation:

As per Rule 21 (4)(5) of MMDR, Act 1957 State Mining Department seized the vehicles deployed and imposed penalty of Rs. 1,25,000/- for illegal mining of sand at Village-Kandagarh, Tehsil-Pussour, District-Raigarh. As per information provided by mining department total **100m^3**sand had been excavated.

As per O.A. No. 360/2015 in the matter of National Green Tribunal Bar Association Vs. Virendra Singh (State of Gujarat) at Hon'ble NGT (PB) New Delhi, a report was prepared by a Committee to recommend a scale of compensation to Hon'ble NGT (PB) to deal with cases of illegal sand mining in whole of country.The Committee considered two approaches: Approach 1: Direct Compensation based on the market value of extraction, adjusted for ecological damages and Approach 2: Computing a Simplified Net Present Value (NPV) for ecological damages.

Based on the above report, Hon'ble NGT vide order dated 26.02.2021 directed that the scale of operation of compensation as per report dated 30.01.2020 (Approach - 2) was to be adopted by all States/UTs and Environment Secretary to evolve an appropriate mechanism for assessment of compensation in all Districts of the State and for utilisation of recovered compensation for restoration of environment by preparing appropriate action plan.

Further, in compliance of NGT order dated 26.02.2021, CPCB vide letter dated 11.06.2021 issued directions to Environment Secretaries of States/UTs to evolve an appropriate mechanism for assessment of compensation in all Districts of the State and for utilization of recovered compensation for restoration of environment by preparing appropriate action plan. Chhattisgarh State yet to formulate State specific Environment Compensation (EC) formula and thus Approach-2as mentioned above has been used for imposing EC, the formula calculation as given below:

"Compensation Charge (Scenario II - explicit accounting of NPV). In

situations where the risk categorisation is unavailable or pending calculation, thefollowing Discount Rates may be considered:

Severity	*Mild*	*Moderate*	*Significant*	*Severe*
Risk Level	1	2	3	4
Risk Factor (RF)	0.25	0.50	0.75	1.0
Discount (r)	8%	7%	6%	5%

Market Value[#] of Illegally Mined Material (D) 1089*100 = Rs. 108900/-
Annual Value of Foregone Ecological Values (D*RF) 108900*1 = Rs. 108900/-

- The market value of material (Sand) as per PWD CG 2022 NH Zone it is Rs. 1089/- per m^3, hence committee decided to take latest and higher side market rate for EC calculation.
- 100 m^3 sand seized during raid of mining department.
- RF=1 as severe risk factor taken for calculation.

Formula for Present Value of Foregone Ecological Values @ 5% discount rate and over 5 years (*t*) is:

$$PV = \sum_{t=1}^{5} \left(\frac{D*RF}{(1+r)^t}\right)$$

Therefore, Present value as calculated will be:

$$PV = \left(\frac{108900}{(1+0.05)^1}\right) + \left(\frac{108900}{(1+0.05)^2}\right) + \left(\frac{108900}{(1+0.05)^3}\right) + \left(\frac{108900}{(1+0.05)^4}\right) + \left(\frac{108900}{(1+0.05)^5}\right)$$

PV = 103714.29 + 98775.51 + 94071.91+ 89592.29 + 85325.99

PV = Rs. 471479.99/-
PV ~ Rs. 471480/-

Net Present Value (NPV) = PV-D

NPV = 471480-108900 = Rs. 362580/-

In view of the above Environmental compensation of Rs 362580/- (Rupees Three Lakh SixtyTwo Thousand Five Hundred Eighty only) may be imposed on the violators who are committed / associated in the illegal mining and transportation of sand. The District Collector, Raigarh may recover the same from the violators.

10. Conclusion and Recommendations: -

The Committee noted that District administration has takenaction against the violators under MMDR Act, 1957 and seized the vehicles deployedfor illegal mining. The Districtadministration also imposed penalty of Rs 1,25,000/- under as per Rule 21 (4)(5) of MMDR, Act 1957 State Mining Department seized the vehicles deployed and imposed penalty of Rs. 1,25,000/- for illegal mining of sand at Village-Kandagarh, Tehsil-Pussour, District-Raigarh and the case is under process.

For the violation that took place upto 12/06/2024, the Committee recommends to levy anEnvironmental compensation of Rs.362580/- on the violators who committed the illegal sand mining and transportation. The District Collector, Raigarh may recover the same from the violators.Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh shall take action against the lease holder of sand mine at Village-Usraut for violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981after taking clarification.

Further, the Committee suggests the following recommendations to adopt the authorities concerned.

11. Recommendations for preventing illegal sand mining:

(i). District mining department shall complete the process of providing sand mining leases at different identified locations as soon as possible.

(ii). District authorities shall strengthen the site inspections mechanism by the Revenue Department and Mining Department of the State Government at regular intervals. Permanent police Booth with adequate manpower may be setup on the vulnerable areas.

(iii). The State Government should provide adequate manpower, police security and vehicles etc. to the authorities concerned for regular monitoring of illegal sand mining, if any.

(iv). Warning boards intimating the penalty for illegal mining and transportation of sand should be placed by the Mining Department at different villages where sand availability is recorded, along with contact details/phone/mobile of the official to whom the information/complaint can be made, if any one who notices illegal mining.

12. Other recommendations:

(i). DSRs needs to be prepared very carefully, based on physical surveys and replenishment studies. DSR needs to be regularly updated, since sand deposition is in dynamic nature. While awarding sand mining leases, important factors viz. deposition and replenishment of sand, areas of erosion, distance from infrastructural structures need to be considered.

(ii). The mining department should ensure compliance of provisions of EIA Notification, 2006, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016; Enforcement and Monitoring guidelines for sand mining 2020; The Environment (Protection) Act, 1986; The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations of Central Ground Water Authority.

(iii). Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) shall ensure that all the sand mining projects accorded EC are being operated only after obtaining requisite CTE/CTO under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(iv). Geo-fencing of sites, their physical demarcation, allotment of geo coordinates to all the pillars and its constant physical inspection and electronic surveillance is a must to ensure that the mining activity is as per the approved mining plan and no illegal mining and detrimental to the environment.

(v). Awareness shall be created to the villagers about utilisation of sand from scheduled area by obtaining proper permissions from the authorities concerned.

Ankur Sahu
Regional Officer, CECB,
Regional Office, Raigarh

Sameer Bada
Deputy Collector,
Raigarh

Dr. M.T. Karuppiah
Scientist-E, MoEF&CC,
Sub-Office, Raipur

****

Photographs of the Committee visit

Village -Usraut

Sand Seized by State Mining Department at Village -Usraut

Village -Kanchanpur

Village –Lebada&Raniguda

Village-Bokramuda & Tarapur

Action against illegal mining at Village – Kandagarh by State Mining Department Raigarh on 12.06.2024

Village -Kandagarh

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

जावक क्र. 881 /क्षे. का./प.सं.मं./2024 रायगढ़, दिनांक 16/07/24

–::कार्यालय आदेश::–

----::00::----

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच ओ.ए. क्रमांक 617/2024, नई दिल्ली द्वारा केलो प्रवाह में दिनांक 23.04.2024 को प्रकाशित खबर "रेत की एक ही वैध खदान इसलिये हावी हुये बालू माफिया" के संबंध में समिति गठन बाबत्।

संदर्भः–
1. ओ.ए. क्रमांक 617/2024 नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 29/05/2024.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 529 दिनांक 10.06.2024.
3. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक 1909 दिनांक 06.06.2024.
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 66 दिनांक 19.06.2024.

----00----

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच ओ.ए. क्रमांक 617/2024, नई दिल्ली द्वारा केलो प्रवाह में दिनांक 23.04.2024 को प्रकाशित खबर "रेत की एक ही वैध खदान इसलिये हावी हुये बालू माफिया" में दिनांक 29.05.2024 के आदेशानुसार गठित संयुक्त समिति में निरीक्षण कर प्रतिवेदन 02 माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया जाता है :–

1. डॉ. एम.टी. करूप्पिया, वैज्ञानिक–ई, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर
2. श्री अंकूर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़
3. श्री समीर बड़ा, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़

16/7/2024
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ

पृ. क्र. 882 /क्षे. का./प.सं.मं./2024 रायगढ़, दिनांक 16/07/24

प्रतिलिपि :–
1. डॉ. एम.टी. करूप्पिया, वैज्ञानिक–ई, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर की ओर कृपया माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 29.05.2024 की प्रति संलग्न कर अवलोकन एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकूर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ की ओर कृपया माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 29.05.2024 की प्रति संलग्न कर अवलोकन एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. श्री समीर बड़ा, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ की ओर कृपया माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 29.05.2024 की प्रति संलग्न कर अवलोकन एवं पालनार्थ प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ़

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल : seiaacg@gmail.com

क्र./497/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./रेत खदान/1928 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांकः 25/9/2023

प्रति,

मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन
(प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल),
ग्राम–उसरौट,
<u>तहसील व जिला–रायगढ (छ.ग.)</u>

विषय :– मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल), खसरा क्रमांक 01, ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 255551/ 2022, दिनांक 08/02/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 25/08/2023.

--:: 00 ::--

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 08/02/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 25/08/2023 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 255551/ 2022, दिनांक 08/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नमोनारायण पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र —** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उसरौट का दिनांक 19/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित —** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना —** माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि.—3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान —** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.लि.—3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए —** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 262/ख.लि.—3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण —** एल.ओ.आई. श्री नमोनारायण पटेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 21/ ख.लि. —3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट —** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र —** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला—रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1325/2022 रायगढ़, दिनांक 07/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9.48 कि.मी. एवं गोमर्ड अभ्यारण्य की सीमा से 49 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी —** निकटतम आबादी ग्राम—उसरौट 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम—उसरौट 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है। पुल खदान के डाउनस्ट्रीम में 513 मीटर की दूर में स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र —** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 570 मीटर, न्यूनतम 451 मीटर एवं खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 174 मीटर, न्यूनतम 172 मीटर तथा औसतन चौड़ाई – 117 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 112 मीटर, न्यूनतम 71 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.16 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.52	2%	0.57	Following activities at nearby Primary School, Village-Usrout	
			Potable Drinking Water Facility	0.35
			Running Water Facility for Toilet	0.40
			Total	**0.75**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. आवेदित खदान (ग्राम—उसरौट) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** — वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 600 नग पौधे, पहुंच मार्ग पर 200 नग पौधे एवं गांव के महादेव तालाव (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.087 हेक्टेयर) पर 200 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए राशि 1,20,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,93,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में वाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा —**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट—मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल), खसरा क्रमांक 01, ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति द्वारा किये गये अनुशंसा को स्वीकार करते हुए बिन्दु क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 का पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 683 दिनांक 12/08/2023 के माध्यम से चाही गई शपथ पत्र (undertaking) के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल), खसरा क्रमांक 01, ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट –** परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन

(सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.0 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 पौधों का रोपण नदी तट पर, 200 नग पौधे पहुँच मार्ग तथा इसके अतिरिक्त गांव के महादेव तालाब (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.087 हेक्टेयर) पर 200 नग पौधे में रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

17. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.52	2%	0.57	Following activities at nearby Primary School, Village-Usrout	
			Potable Drinking Water Facility	0.35
			Running Water Facility for Toilet	0.40
			Total	**0.75**

20. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावें।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

23. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

24. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

28. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के विना नहीं किया जाए।

29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेपित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन

एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ.क्र.1498/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./रेत खदान/1928 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/9/2023
प्रतिलिपि :–

1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
2. एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–II, विंग–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
7. कलेक्टर, जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. वनमण्डलाधिकारी, कार्यालय वनमण्डल, रायगढ़, जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

₹20,000

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-CG48848478800949W**
Certificate Issued Date	:	04-Jan-2024 12:45 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ cgshcil01/ RAIGARH/ CG-RG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGSHCIL0181555417791224W
Purchased by	:	NAMONARAYAN PATEL
Description of Document	:	Article 35 Lease (For a period of one year or more)
Property Description	:	VILLAGE- USROUT DIST- RAIGARH CG
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MINING DEPARTMENT BY COLLECTOR RAIGARH
Second Party	:	NAMONARAYAN PATEL
Stamp Duty Paid By	:	NAMONARAYAN PATEL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	20,000 (Twenty Thousand only)

जिला रायगढ़ के उप पंजीयक, रायगढ़ ★ Office of sub registrar Disst Raigarh (Chhattisgarh) ★

SHCIL e-Stamp

Please write or type below this line

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

IRD 0015266067

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

यतः पट्टेदार/पट्टेदारों ने, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रुप में निर्दिष्ट है) के अनुसार इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में **खनिज साधारण रेत** हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति पंजीयन दिनांक 11/01/2024...... से 10/01/2026.. तक दो वर्ष के लिये दी गई हैं।

यतः पट्टेदार, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की शर्तो के अनुसार नीलामी की राशि रूपये **46.00 (अक्षरी छियालीस)** मात्र प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के लिये सहमत हो गया है, जो रकम एतद् पश्चात् नीलामी राशि कहलायेगी। रूपये 2,00,000.00 (अक्षरी दो लाख) मात्र कार्यपालन प्रतिभूति की राशि एफ.डी.आर. के रूप में दिनांक 21.12.2021 (नवीनीकृत दिनांक 27.12.2023) जमा किया है, जो कि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के अनुबंध में इस नियम के शर्तो के किसी भी प्रकार से भंग किये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण या उसका भाग, समपहृत किये जाने योग्य होगी।

अतः कलेक्टर/अपर कलेक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन मान) जिला **रायगढ़** ने उसे वह उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है। जिस खदान का क्षेत्रफल 2.000 हे. है और **जिसका विवरण संलग्न अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों में दिया गया है, जो अब आगे** ''उत्खननपट्टा'' कही जायेगी।

रेत की ऐसी समस्त खदानें (जहां खनिज या खनिजो का विवरण दे) (जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) जो उन भूमियों में, जिन्हे उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनके तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुये जो उक्त अनुसूची के भाग-दो वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुये जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक ...11/01/2024......... से .... 10/01/2026...... तक (02 वर्ष तक) की कालावधि के लिये धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद् द्वारा प्रदान किये जाते है, पट्टे पर दिये जाते है, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामिस्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित है, क्रमशः ऐसी समयों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद् द्वारा राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद् द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है।

उक्त अनुसूची के भाग-8 में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमती दी जाती है जो अनुसूची के भाग-9 में अभिव्यक्त की गई है;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे है, उस रीति में जो इसके अधीन प्रगट होती है, निष्पादित किया जाता है।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
छत्तीसगढ़
जाँच परचा सह घोषणा प्रपत्र

जिला:	रायगढ़	उप पंजीयक कार्यालय:	रायगढ़_SR
टोकन नं.-	1	टोकन दिनांक/समय :	2024-01-12/11:18:01

प्रस्तुतकर्ता	नमोनारायण पटेल
प्रस्तुतकर्ता का पता	रायगढ़
निष्पादक की हैसियत	स्वतः (साक्षियों द्वारा शिनाख्त)

विलेख प्रारूप	पट्टा	विलेख का प्रकार	1 से 5 वर्ष तक के लिए
देय मुद्रांक	20000	संलग्न मुद्रांक	20000
कुल पृष्ठों की संख्या	25		
ई-पंजीयन आई.डी.नं.	CG6208612012024001		
ई-स्टाम्प नं.	IN-CG48848478800949W		
विशेष विलेख प्रकार			

पक्ष का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का नाम	पिता/पति/माता/अभिभावक का नाम	पेशा	लिंग	जाति/उपजाति	पैन/60/जन्म की तारीख/निगमन तारीख	पहचान संलग्न कागजात की विवरणी		पता
पट्टादाता	छ.ग. शासन की ओर से कलेक्टर रायगढ़	पिता-उपलब्ध नही	नौकरी	पुरूष	सामान्य/सामान्य		मतदाता पहचान पत्र	NA	रायगढ़ -PIN : 496001
पट्टाग्रहिता	नमोनारायण पटेल	पिता-गेंदालाल पटेल	व्यवसाय	पुरूष	सामान्य/सामान्य		आधार कार्ड	XXXXXXXX5278	उसरौट, रायगढ़ -PIN : 496001
गवाह-1	राजेश खेस्स	पिता-पतरस खेस्स	व्यवसाय	पुरूष	अ0ज0जा0/उरांव		आधार कार्ड	XXXXXXXX0984	जशपुर -PIN : 496001
गवाह-2	मनोज कुमार चौहान	पिता-शौकीलाल चौहान	नौकरी	पुरूष	अ0जा0/गांड़ा		आधार कार्ड	XXXXXXXX5658	उसरौट, रायगढ़ -PIN : 496001

CG6208612012024001

जिला ... Office Distt. Raig...

प्ररूप - एक

साधारण रेत उत्खनन पट्टा विलेख

{(नियम-8 (1) देखिये)}

गौण खनिज रेत के उत्खनन पट्टा अनुबंध विलेख

यह करार एक पक्षकार के रुप में कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.) के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकुल है, वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार **श्री नमोनारायण पटेल, निवासी ग्राम उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)** व्यवसायी (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी सम्मिलित है)

अथवा

.... (सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा .... (व्यक्ति का नाम पदनाम सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है, ओर इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है वहां उनके क्रमशः वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञाप्राप्त समुदेशिती भी सम्मिलित है)

अथवा

.... (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज .... निवासी ...., समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रींत फर्म का नाम तथा अभिनाम .... (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहें है और जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय .... नगर .... में पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रुप में निर्दिष्ट है इसके अन्तर्गत जहाँ संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संवंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा समुदेशिती सम्मिलित है)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी .... (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रुप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियाँ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समुदेशिती सम्मिलित है)

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
छत्तीसगढ़
पंजीयन हेतु प्रस्तुतिकरण

जिला- रायगढ़ उप पंजीयक कार्यालय- रायगढ़_SR के कार्यालय में दिनांक- 12/01/2024 को समय- 11:07:44 AM प्रस्तुत किया।

टोकन नं.-	1
प्रस्तुतकर्ता का नाम	नमोनारायण पटेल
प्रस्तुतकर्ता पिता का नाम -	गेंदालाल पटेल
प्रस्तुतकर्ता का पता	रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत किया गया

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

ई पंजीयन की पावती

निष्पादक का नाम	नमोनारायण पटेल
प्रथम पक्षकार/ निष्पादक की हैसियत	स्वतः (साक्षियों द्वारा शिनाख्त)

जिला- रायगढ़ उप पंजीयक कार्यालय- रायगढ़_SR के कार्यालय में दिनांक- 12/01/2024 को समय- 11:07:44 AM में ई-स्टॉम्प. द्वारा संलग्न निष्पादित विलेख को ई-पंजीयन हेतु प्रस्तुत की गई

ई-स्टाम्प पृष्ठों की संख्या	1
ई-स्टाम्प पृष्ठों का मूल्य	IN-CG48848478800949W / Rs. 20000
कुल मुद्रांक	20000

ई स्टाम्प की SHCIL द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरणी

ई-पंजीयन आई-डी नं	CG6208612012024001	कुल प्रस्तुत पृष्ठों	18

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

CG6208612012024001

Office of sub registrar, Distt. Raigarh (Chh...

अनुसूची

भाग-एक

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :-

ग्राम उसरौट में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो तहसील रायगढ़ में ग्राम पंचायत उसरौट में है, और जो खसरा क्रमांक 01 रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो इसमें संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षांश-देशांश की सीमाएं निम्नानुसार है :-

Corner	Latitude	Longitude
A	$21^0$53'59.79"N	$83^0$16'29.18"E
B	$21^0$53'59.70"N	$83^0$16'33.29"E
C	$21^0$53'54.09"N	$83^0$16'33.58"E
D	$21^0$53'54.13"N	$83^0$16'29.52"E

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रुप में निर्दिष्ट है।

भाग-दो

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो भाग-तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार.

(1.) भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, कार्य करना इत्यादि :-

एतद् द्वारा किये गये पट्टा की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर एतद् द्वारा प्रवेश करने और उक्त खनिज को प्राप्त करने के संबंध में उपार्जन करने, कार्य करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

(2.) रास्तो तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग :-

इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमि में या उसके उपर कोई रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने हेतु ऐसी शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार सहमत हो, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

भाग-तीन

भाग-दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें

(1.) कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा :- किसी सार्वजनिक विहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य शासन सार्वजनिक स्थान के रुप में अवधारित करें, या कोई परिवहन का निर्माण अथवा कोई भी भू-तल संक्रियाएं नहीं की जायेंगी।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

मैं/हम इस संलग्न विलेख के सभी पृष्ठों के एवं सारांशित उपर्युक्त निर्मूल प्रविष्टियों को,विलेख के ई-पंजीयन आई.डी. CG6208612012024001 तथा ई-स्टाम्प कोड IN-CG48848478800949W सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते है, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरो से इस विलेख को निष्पादित करते है ।

निष्पादको की हस्ताक्षर

दावेदारों की हस्ताक्षर

CG6208612012024001

जिला ...
Office ...
Disst. Raigarh

(2) **प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन संक्रियाएं नहीं की जायेगी :-**

पट्टेदार नियम-9 में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर कोई कार्य या खनन संक्रियाएं नहीं करेगा/करेंगे या उन्हे करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) **आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टे के लिये सुविधायें :-**

पट्टेदार ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है, या जिस तक उसके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टों के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुंच ही युक्तियुक्त सुविधा प्रदान किये जाने दावत् अनुज्ञा देगा।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारको द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार की संक्रियाएं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार को हुई हानि या नुकसान के लिये पट्टेदार को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जायेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

भाग-चार

राज्य शासन के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

(1) **रेलपथ, रास्ते, ऐनीकट तथा पॉवरग्रीड आदि बनाना :-**

राज्य शासन या इस निमित उसके द्वारा प्राधिंत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके उपर, या उसके आर-पार किन्ही रेलपथों, सड़क मार्गो, एनीकट तथा पॉवर ग्रिड बनाने संधारित करने, और उनकी मरम्मत करने या किन्ही विद्यमान रेलपथों, सड़क मार्गो, एनीकट, पॉवर ग्रिड तथा अन्य मार्गो से या उन पर से, या उनके साथ साथ समस्त प्रयोजनों के लिये और जेसा की किसी अवसर पर आपेक्षित हो, पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्तिः

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान् प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणाम स्वरुप पट्टेदार/पट्टेदारों को हानी या नुकसान के लिये पट्टेदार/पट्टेदारों ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाये।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

छत्तीसगढ़

पंजीयन हेतू स्वीकृति एवं शिनाख्ती

निष्पादक	दावेदार
1. छ.ग.शासन की ओर से कलेक्टर रायगढ़ पिता का नाम उपलब्ध नही जाति सामान्य निवास स्थान रायगढ़	1. नगोनारायण पटेल पिता का नाम गेंदालाल पटेल जाति सामान्य निवास स्थान उसरौट, रायगढ़

स्वीकार करते है कि तथाकथित पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था

गवाह

1.	मनोज कुमार चौहान पिता का नाम शौकीलाल चौहान जाति अ0जा0 निवास स्थान उसरौट, रायगढ़ जिला रायगढ़
2.	राजेश खेस्स पिता का नाम पतरस खेस्स जाति अ0ज0जा0 निवास स्थान जशपुर जिला रायगढ़

की जाँच पूर्वोक्त निष्पादक/दावेदार की शिनाख्ती के विषय मे की गई है।

आज दिनांक 12/01/2024

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

CG6208612012024001

Office of S... Distt. Raigarh

5. यह पट्टा जिला रायगढ़ में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के अध्यधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद् द्वारा, यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन वसूली शोध्य के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपील) जिला रायगढ़ स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा स्पष्ट करार किया जाता है कि ऊपर लिखित न्यायालयों में भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्रवाई करने या कोई याचिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सक्षम नहीं होगा.

(6) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामित्व रुपये 46,000/- प्रतिवर्ष है।

(7) अन्य शर्ते :-

जिसके साक्ष्य में यह विलेख प्रथमतः ऊपर लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

10-01-2024
कलेक्टर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए
तथा उनकी ओर से कलेक्टर
द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी

(1) हस्ताक्षर ....

नाम ....RAJESH XESS..................

पिता या पति या पत्नि ...PATRAS XESS........

पता ..Vill:- KADAM TOLI, P.O:.....
Dulduli, Jashpur

(2) हस्ताक्षर ....

नाम ...मनोज कुमार चौहान.....

पिता या पति या पत्नि ...शौकी लाल चौहान...

पता ...उरदेना रायगढ़...

(पट्टेदार)

(द्वारा हस्ताक्षरित)

तारीख ...08/01/2024..............................

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

छत्तीसगढ़

पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 32 (क) के तहत निष्पादकों/दावेदारों एवं गवाहों का फोटो एवं अंगुष्ठ का छाप

टोकन नं.- 1 दिनांक - 12/01/2024 विलेख का प्रकार - पट्टा

निष्पादकों/दावेदारों/गवाहों का विवरणी	इलेक्ट्रॉनिक फोटो	अंगूठे का निशान	हस्ताक्षर
नाम -छ.ग.शासन की ओर से कलेक्टर रायगढ़(पट्टादाता) पिता का नाम -उपलब्ध नही पता -रायगढ़			
नाम -नमोनारायण पटेल(पट्टाग्रहिता) पिता का नाम -गेंदालाल पटेल पता -उसरौट, रायगढ़			
नाम -राजेश खेस्स(गवाह-1) पिता का नाम -पतरस खेस्स पता -जशपुर			
नाम -मनोज कुमार चौहान(गवाह-2) पिता का नाम -शीकीलाल चौहान पता -उसरौट, रायगढ़			

पूर्वोक्त निष्पादक/दावेदार/सहमतिदाता/गवाह के अंगुष्ठ छाप/हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिये गये

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

CG62086120120240 01

भाग-पांच

इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व (रायल्टी)

(1) अनिवार्य भाटक (डेड रेंट) या स्वामिस्व जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना :-

पट्टेदार, पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये विर्निदिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा।

परन्तु इन नियमों के नियम 9 (1)(क) के अधीन जहां ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है, वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा.

(2.) भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान की दरें एवं रीति :-

इस भाग के भाग-एक के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार और इस अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के लिए रूपये 5,000.00 प्रति हे. या उसके भाग के लिये ऐसी रीति में जैसा कि इस नियम के नियम 9(1)(क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य शासन को भुगतान करेगा।

(3.) स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा रीति :-

इस भाग के भाग-एक के उपबंध के अध्ययधीन रहते हुए पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम 9(1)(ग) में विर्निदिष्ट किये गये स्वामिस्व का, छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के अनुसूची-तीन में तत्समय विर्निदिष्ट दर से राज्य शासन को भुगतान करेगा ।

(4.) नीलामी राशि का भुगतान :-

नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टे से पट्टेधारी द्वारा निकास किये गये खनिज की प्रतिघन मीटर मात्रा पर 46.00 रूपये की दर से नीलामी राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होगा।

(5) सतही भाटक का भुगतान :-

पट्टेदार, उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई है, या उपयोग की गई है, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए रूपये 5.00 की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाये, भाटक का राज्य सरकार को समय-समय पर निर्धारित दर पर सतह भाटक का भुगतान नियम 9 (1)(ख) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा।

(6) खदान क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित दरों/मुल्यों को प्रदर्शित करेगा :-

पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर एक सूचना पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें शासन द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज, रायल्टी, डी.एम.एफ.,समस्त उपकर एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर दर्शित होगें।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

भाग छः

भाटक और स्वामित्व संबंधी उपबंध

(1.) स्वामित्व के संगणना की रीति :-

उक्त स्वामित्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार खपत किये गये प्रेषण किये गये खनिज के उत्पादन का एक सही लेखा रखने साथ ही खनिज की मात्रा का जो कि स्टाक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जा सकेगी.

(2) यदि भाटको और स्वामित्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्यवाही :-

इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक स्वामित्व या अन्य रकम का पट्टेदार द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अथवा खनिज रियासत नियम, 1960 के नियम 64 (क) में विर्निदिष्ट ब्याज की दर, जो भी उच्चतर हो साधारण ब्याज के साथ, उप संचालक (ख.प्र.)/खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की भांति वसूल की जा सकेगी।

भाग-सात

पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

(1.) पट्टेदार भाटकों तथा स्वामित्वों करों इत्यादि का भुगतान करना. :-

पट्टेदार इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामित्वों का ऐसे समय पर तथा ऐसा रीति में, जो इस विलेख के भाग-5 तथा 6 में उपबंधित है, राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रधारित किये गये अनुसार भुगतान करेगा।

(2.) खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश-देशांश एवं लागू दरों की जानकारी प्रदर्शित करना :-

पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश-देशांश की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा और उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें तथा प्रत्येक रेत खदान में रेत का उच्चतम निर्धारित मूल्य, प्रदर्शित किया जायेगा।

(3.) संक्रियाएं एक माह के भीतर प्रारंभ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा. :-

पट्टेदार, पट्टा पंजीयन किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर संक्रियाएं प्रारंभ करेगा।

(4.) सरकार को समस्त दावों के विरूद्ध क्षतिपूरित रखा जायेगा :-

पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये, उसके द्वारा किये गये हो, उस विषय पर प्रवित्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हर्जाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनका भुगतान करेगा, जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसे समस्त दाओं के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरूद्ध ऐसे किसी नुकासन क्षति या विघ्न के संबंध में जो कि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तिओं द्वारा किये जायें राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा और पूर्ण रूप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(5.) खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना :-

पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण करने और उसके नक्शे बनाना, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिये इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन क्षेत्र अथवा किसी परिसर में स्थित कार्यालय में प्रवेश करने को अनुज्ञा करेगा और पट्टेदार उसके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ जो खान से तथा कार्यो से परिचित है ऐसे अधिकारी/अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को, ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा और खदानों के कार्यक्रम के संबंध में ऐसी समस्त सुविधाए, जानकारी देगा जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों जैसे कि केन्द्र एवं राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणाम स्वरूप या अन्यथा समय समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।

(6) दुर्घटना की रिर्पोट किया जाना :-

पट्टेदार, विना विलंब के कलेक्टर तथा संबंधित पुलिस थाना को ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा जो इस पट्टे के अधिन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो, इनके कारण मृत्यु या गंभीर शारिरीक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो, या जो जीवन या सम्पत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

(7) अन्य खनिजो के अनवेशन की रिपोर्ट किया जाना :-

पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसी किसी खनिज की, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अनवेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरुप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा, यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है जो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा और उसका निपटारा नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाये या उसके लिए पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाये.

(8) उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादी के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना :-

पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त कार्यों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा या रखवाएगा, जिनमें निम्नांकित के संबंध में समय-समय पर सही प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :-

1. उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज की मात्रा तथा प्रकार;

2. उन खनिजों को, जिनका विक्रय किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक-पृथक रुप से;

3. उक्त खनिज के समस्त विक्रयों की कमितें तथा अन्य समस्त विवरण;

4. उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में विनियोजित व्यक्तियों, की संख्या तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए ;

5. ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियों तथा परिस्थितियां जिनके बारे में राज्य शासन, समय-समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारी जो ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य शासन नियत करें ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य शासन विहित करें, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य शासन उस निमित्त नियुक्ति करें, उक्त लेखा-पुस्तकों, रेखांको तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के लिए प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक आवाध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(9) तृतीय पक्षों को हुई क्षति, प्रतिकर का भुगतान.:-

पट्टेदार इस विलेख प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा भुगतान करेगा और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य शासन को हानिरहित रुप से बचाएगा और क्षतिपूर्ति रखेगा. शासकीय भूमि की दशा में पट्टेदार राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले की पड़त भूमि के लिए प्रत्येक वित्तिय वर्ष हेतु निर्धारित की जाने वाली कीमत के निरंक प्रतिशत समतुल्य राशि के प्रतिकर का भुगतान राज्य शासन को करेगा।

(10). पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा :-

जब कभी रूपये 2,00,000.00 का कार्यपालन प्रतिभति उसके किसी भी भाग की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास, इसमें इसके पश्चात् जमा की गई और रकम समपहृत की जाये या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुशरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाये जब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम जमा करेगा, जो कि कार्यपालन प्रतिभूति के अधिनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा करने को रूपये 2,00,000.00 तक लाने के लिये पर्याप्त हो।

(11) अग्रक्रय का अधिकार :-

(क) राज्य शासन को, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एतद् द्वारा अंतरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुये उक्त खनिजों को अग्र क्रय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बावत् सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, सुपुर्द करेगा।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, अग्रक्रय में लिये गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो.

(12). राज्य शासन द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :-

यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा जाने है, या उनका पालन किया जाना है उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन उन्हे करवा सकेगा या पालन करवा सकेगा और पट्टेदार/पट्टेदारों, मांग की जाने पर, राज्य शासन को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये हों तथा ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य शासन का विनिश्चय् अंतिम होगा।

(13). अन्य बाध्यतायें :-

(क) पट्टेदार, इस नियम के अन्तर्गत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगा।

(ख) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।

(ग) पट्टेदार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा ।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ (छ.ग.)

(घ) पट्टेदार, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(ङ) पट्टेदार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए बए नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे।

(च) पट्टेदार, स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसे कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जाये;

(छः) पट्टेदार, नियमों में निर्धारण तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(ज) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा;

(झ) पट्टेदार, नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा।

भाग-आठ

राज्य शासन की प्रसंविदाएं

(1) **अवधि विस्तार किया जाना :-**

नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा एक वर्ष हेतु अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

(2) **पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता :-**

पट्टेदार मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास कि एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा, किन्तु पर्यवर्सन के पूर्व ऐसे समस्त भाटकों, स्वामिस्यों नुकसानों के लिये प्रतिकर और ऐसा धन देगा और उसका भुगतान करेगा जो कि उस समय शोध्य हो।

ऐसे खनिज के अभ्यप्रण के लिये आवेदन ऐसी अप्रत्याशित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और यह वचन देता है कि वह इस प्रकार अभ्यप्रित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उस खनिज के लिये बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रूकावट कारित नहीं करेगा।

(3) **प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय :-**

इस पट्टे या उसके किसी नवीनीकरण का पर्यावसन होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करें, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य शासन के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार को प्रतिदाय कर दी जावेगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

भाग-नौ

सामान्य उपबंध

1. निरीक्षण में बाधायें :-

इस मामले में, जहां पट्टेदार उन अधिकारियों द्वारा, जो कि उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किए जाने की अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार को लिखित सूचना देगा तथा उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, यह कारण बतलायें कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाये तथा उसका कार्यपालन प्रतिभूति क्यों न समपहृत कर लिये जाएं, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधान पर्यंतकारण बतलाने में असफल रहता है तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा.

2. स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति :-

यदि पट्टेदार नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करता है या शर्तों को भंग करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार से यह अपेक्षा करते हुए इस नियम के अनुसार कारण बताओं नोटिस देगा कि वह यथास्थिति, भाटक या स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर करें। ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो मंजुरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किसी उसके/उनके विरूद्ध की जा सकती है, पट्टाा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग समाप्त कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

3. पट्टे का अवसान होने पर उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेंगे :-

पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा इन्हे उन्मोदित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वोतर पर्यवसान किये जाने के पश्चात् या उसके तीन कैलेण्डर माह के भीतर जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कलेण्डर माह के भीतर, उसके द्वारा स्थापित उत्खनन सामाग्री जो कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हो, स्थापित किये गये हों, या रखे गये हों, और जिन्हे पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिए वाध्य नहीं है, हटाना होगा ।

4. पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन माह से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पत्ति का समपहरण :-

यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-नौ के खण्ड तीन में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वत्तर पर्यावसान के प्रभावी होने से तीन कैलेण्डर मास के अंत में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनाएं, तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण तथा अन्य सुविधायें, अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार द्वारा, उत्खनन पट्टे के अधीन उसके द्वारा धारित किन्ही अन्य भूमियों में किये जाने वाले सकार्यों के संबंध में अपेक्षित नहीं है तो वे उन्हे हटाये जाने की अपेक्षा करते हुए, कलेक्टर द्वारा पट्टेदार को दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटाये जाये, तो उनके संबंध में पट्टेदार को कोई प्रतिकर देने या उस वावत् उन्हे प्रतिकर देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझी जायेगी तथा वे ऐसी जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उसका निपटारा किया जा सकेगा.

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

[redacted]

Issue Date: 12/02/2016

Rajesh Xess

जन्म तिथि / DOB: 18/05/1990

पुरुष / MALE

7733 0873 0984

VID : 9130 8694 4748 0444

मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार

[redacted]

Download Date: 03/06/2022

Address:

S/O: Patras Xess, Kadam Toli, Dobh, Jashpur, Chhattisgarh - 496334

7733 0873 0984

VID : 9130 8694 4748 0444

1947 | 1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

79991
65620

भारत सरकार

Government of India

मनोज कुमार चौहान

Mano Kumar Chouhan

जन्म तिथि / DOB : 29/12/1987

पुरुष / Male

5618 6311 5658

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: [illegible] 23, वार्ड नं. 002, [illegible] छत्तीसगढ़ 496001

Address: S/O: [illegible] Chauhan, 23, ward no 002, [illegible] Chhattisgarh, 496001

5618 6311 5653

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मनोज कुमार चौहान

62672

35578

कार्यालय जिला पंजीयक रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 01 / /जि0पं0 / 2024 रायगढ़ दिनांक 03 जनवरी 2024

प्रति

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- रेत खदान ग्राम उसरौट ग्राम पंचायत उसरौट तहसील व जिला रायगढ़ (छ0ग0) स्थित खसरा कमांक 01 रकबा 2.00 हेक्टैयर क्षेत्र पर उत्खन्न पट्टा का ~~अनुबंध~~ अनुबंध विलेख निष्पादन हेतु देय मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी प्रेषित करने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 24 / ख.लि.–3 / रेत / 2024 रायगढ़ दिनाँक 02.01.2024

–:::000:::–

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके पत्र क्रमांक 24 / ख.लि.–3 / रेत / 2024 रायगढ़ दिनॉक 02.01.2024 में खनिज साधारण रेत उत्खनिपट्टा श्री नमोनारायण पटेल निवासी ग्राम उसरौट तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) को 02 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है जिसमें माईनिंग प्लान में दी गई उत्खनन की मात्रा दो वर्ष में 40000 घन मीटर रेत उत्पादन दर्शाई गई है।

स्वीकृत खनिज साधारण रेत उत्खन्न का मात्रा के अनुसार

क्र.	वर्ष	उत्पादन मात्रा(घ.मी. में)
1	प्रथम वर्ष	20000.00
2	द्वितीय वर्ष	20000.00
	योग	**40000.00**

औसत वार्षिक रेत उत्पादन 20000.00 घन मीटर रायल्टी दर 50.00 रू घन मीटर, लीज अवधि 02 वर्ष पर मुदांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क निम्नानुसार देय होगा।

20000 x 50	=========	10,00,000.00
10,00,000 x 2 %	==========	20,000.00
मुद्रांक शुल्क	==========	20,000.00

कुल मुद्रांक शुल्क 20000.00 एवं पंजीयन शुल्क 15000.00 रू. देय है। परन्तु उपरोक्त उत्पादन की मात्रा रायल्टी की दर अथवा लीज अवधि में बदलाव आने पर स्टाम्प शुल्क में भी परिवर्तन हो जायेगा।

District Registrar
Raigarh (C.G.)

खसरा नक्शा

ग्राम - [illegible] प.ह.नं. 11 [illegible]

तह. व जिला रायगढ़ (छ.ग.)

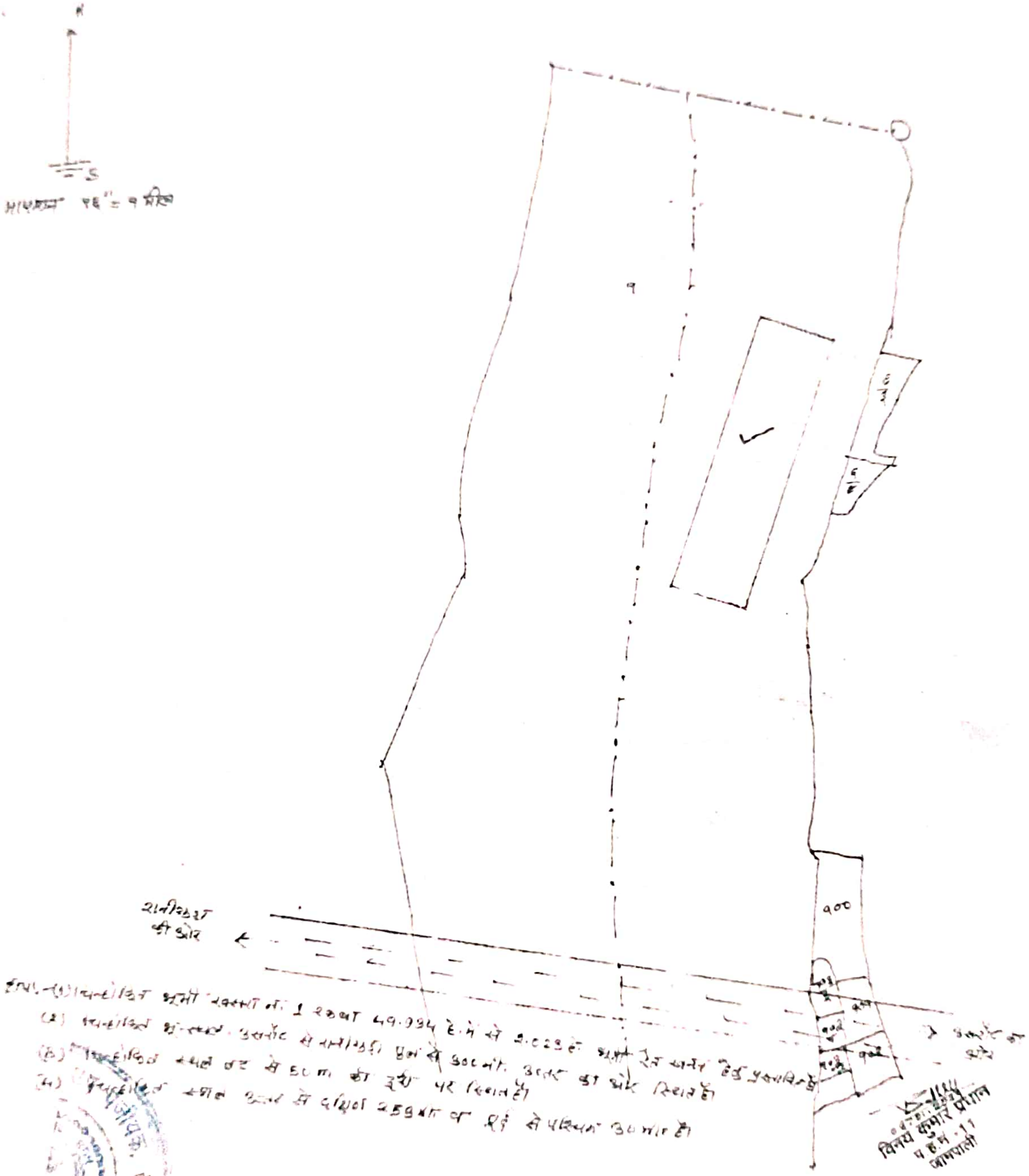

टिप्पणी - (1) प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 1 रकबा 49.934 हे. में से 2.023 हे. भूमि रेत खनन हेतु प्रस्तावित है

(2) प्रस्तावित [illegible] से 300 मी. उत्तर की ओर स्थित है

(3) प्रस्तावित स्थल तट से 50 m. की दूरी पर स्थित है

(4) प्रस्तावित स्थल [illegible] से दक्षिण 259 मी. व [illegible] से पश्चिम 30 मी. है

विनय कुमार प्रधान
प.ह.नं. 11

खसरा नक्शा
ग्राम - उसरौट प.ह.नं. - 11 रा.नि.मं. कोसमा
तह. व जिला रायगढ़ (छ.ग.)

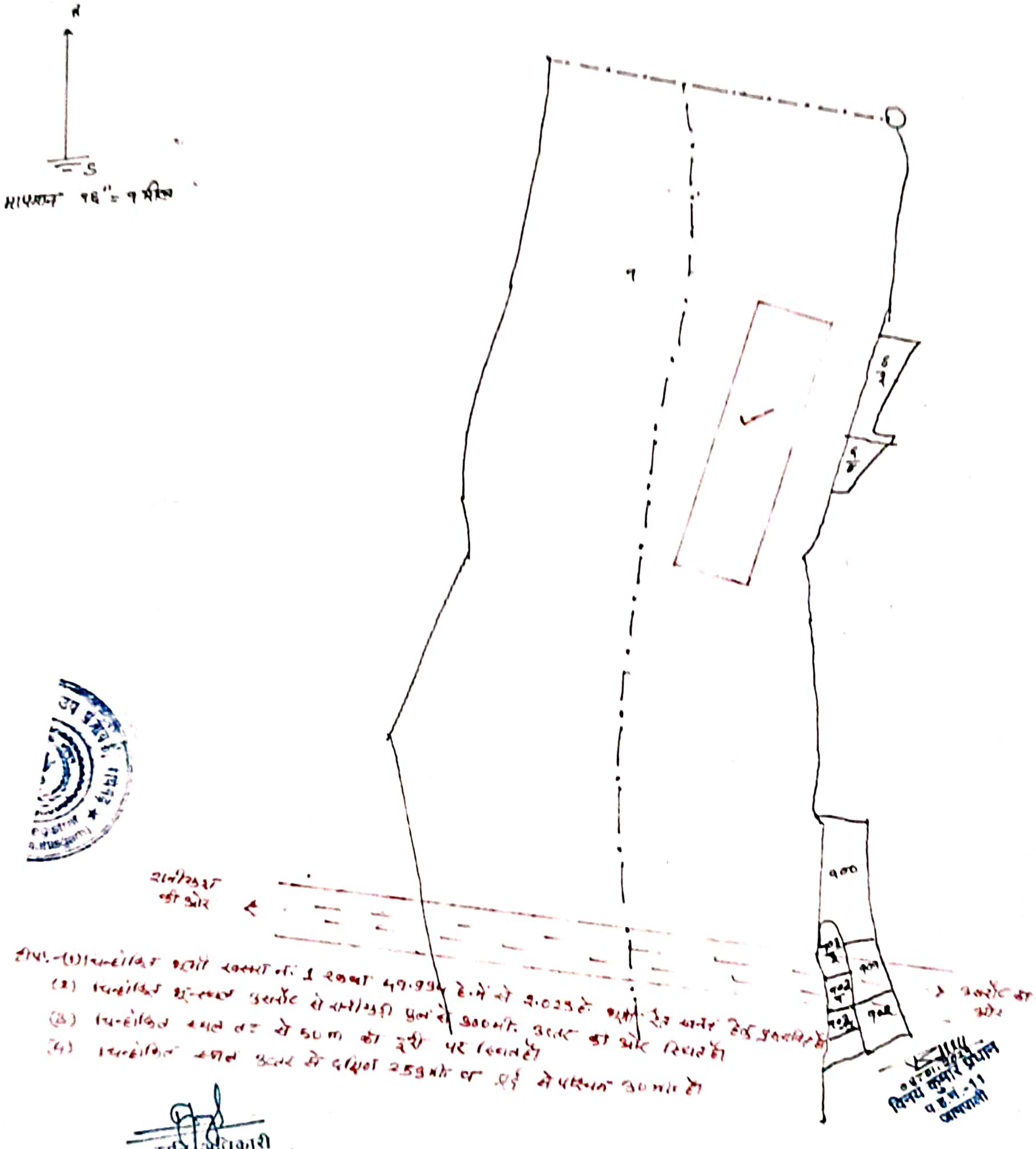

टीप- (1) चिन्हांकित क्षेत्र खसरा नं. 1 रकबा 47.994 हे. में से 2.023 हे.
(2) चिन्हांकित क्षेत्र ग्राम उसरौट से सकरीगुड़ी पुल से 300 मी. उत्तर की ओर रेत खनन हेतु प्रस्तावित है
(3) चिन्हांकित स्थल तट से 50 m की दूरी पर स्थित है
(4) चिन्हांकित स्थल उत्तर से दक्षिण 259 मी. व पूर्व से पश्चिम 80 मी. है

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विनय कुमार प्रधान
प.ह.नं.-11

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़,छत्तीसगढ़-496001

क्रमांक 91 /ख.लि.-3/रेत-01/2023-24 रायगढ़, दिनांक 10/01/2024

प्रति,

जिला पंजीयक,
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- रेत खदान ग्राम उसरौट ग्राम पंचायत उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 01 रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन पट्टा का अनुबंध विलेख का पंजीयन किए जाने विषयक्।

---000---

श्री नमोनारायण पटेल निवासी ग्राम उसरौट तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 01 रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत उत्खनिपट्टा हेतु स्वीकृति आदेश क्रमांक 01/ख.लि.-3/रेत-01 /2023-24 रायगढ़ दिनांक 01.01.2024 जारी किया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 8(1) के तहत् श्री नमोनारायण पटेल, निवासी ग्राम उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) को ग्राम उसरौट तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 01 रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर 02 वर्ष की कालावधि हेतु स्वीकृत खनिज साधारण रेत का **प्ररूप-एक** में उत्खनन पट्टा विलेख निष्पादन किया गया है, जिसे भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 1. निष्पादित "प्ररूप-एक" - एक प्रति में।
2. नक्शा - एक प्रति में।

10/1/2024

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

पृ. क्रमांक /ख.लि.-3/रेत-01/2023-24 रायगढ़, दिनांक /01/2024

प्रतिलिपि :-

श्री नमोनारायण पटेल निवासी ग्राम उसरौट तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

Sd

खनि अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भारत सरकार

Government of India

8105 5622 5278

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

8105 5622 5278

74895
22000

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
छत्तीसगढ़
शुल्क रसीद

टोकन नं.	1
ई-पंजीयन आई-डी नं	CG6208612012024001
निष्पादक का नाम -	नगेन्द्रनारायण पटेल
जिला	रायगढ़
उप पंजीयक कार्यालय	रायगढ़_SR
दिनांक	12/01/2024

मुद्रांक शुल्क विवरणी

मुद्रांक शुल्क	20,000.00
जनपद/न.नि./न.पा./न.पं./ शुल्क	0.00
उपकर	0.00
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	0.00
कुल मुद्रांक	20,000.00

पंजीयन शुल्क विवरणी

पंजीयन शुल्क	15,000.00
सेवा प्रभार शुल्क	1,500.00
अतिरिक्त शुल्क	0.00
दीगर तहसील शुल्क	0.00
कुल शुल्क	16,500.00

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

विलेख क्रमांक - 3719

पंजीयन प्रमाणपत्र
(अधिनियम की धारा 60)

आज तारीख 12/01/2024 मास January सन् 2024 समय 11:50:07 को
पुस्तक क्रमांक 1 ग्रन्थ क्रमांक 9011 में पृष्ठ 125 से 149 पर विलेख क्रमांक 3719 देकर पंजीयित किया गया।

देवेन्द्र कु० साहू ,उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय , -रायगढ़_SR

CG6208612012024001

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़,छत्तीसगढ़-496001

क्रमांक 1984 /ख.लि.-3/2024 रायगढ़ दिनांक 26 / 07 /2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- रायगढ़ जिले के रेत खदानों की जानकारी।

---000---

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) के भ्रमण दिनांक 24.07.2024 के परिपेक्ष्य में रायगढ़ जिले में रेत खदानों से संबंधित जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार है :-

- रायगढ़ जिले में स्वीकृत खनिज साधारण रेत खदानों की संख्या :- **01**

पट्टेदार का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा	अवधि
श्री नमोनारायण पटेल, निवासी ग्राम उसरौट	ग्राम उसरौट, ग्राम पंचायत उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)	01	2.00 हेक्टेयर	12.01.2024 से 11.01.2026 तक

- रायगढ़ जिले के सामान्य क्षेत्र में आवंटन हेतु संभावित रेत खदानों की जानकारी :-

(रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से) :- 10

ग्राम - सहसपुरी, पचेड़ा, दुलोपुर, औंराभाठा, बोकरामुड़ा, डूमरपाली, रानीगुड़ा, लेबड़ा, कछार, बायंग

- अधिसूचित क्षेत्रों के आवेदन प्राप्त रेत खदानों की जानकारी :- 12

ग्राम - कंचनपुर, छिरभौना, कारीछापर, बैहामुड़ा, गनपतपुर, चन्द्रशेखरपुर, डोमनारा, दर्रामुड़ा, डेराडीह, बरभौना, पुसल्दा, बायसी, जोगड़ा-ए, जोगड़ा-बी, रिलो

उपरोक्तानुसार जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

उप-संचालक (खनि प्रशा.)
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

D:\Vishal Dubey\General letter\New Microsoft Office Word Document.docx

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़,छत्तीसगढ़–496001

क्रमांक 1985 / ख.लि.–2 / 2024, रायगढ़, दिनांक 26/07/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– अवैध उत्खनन की जानकारी बाबत्।

–::00::–

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) के भ्रमण दिनांक 24.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में रायगढ़ जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन से संबंधित जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार हैः–

खनिज विभाग रायगढ़ द्वारा दिनांक 12.06.2024 ग्राम कांदागढ़ तह. पुसौर जिला रायगढ़ केलो नदी के समीप आकस्मिक जाँच के दौरान खनिज रेत का अवैध उत्खनन करना पाया गया। मौके पर एक चेन माउण्टेन मशीन एवं हाईवा के माध्यम मुरली साव आ0 नृपोमणी साव निवासी कांदागढ़ जिला रायगढ़ के द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन करवाया जाना पाया गया, जिनके विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)(5) के तहत् खनिज रेत 100.00 घनमीटर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया तथा **कुल 1,25,000.00 रूपये (एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)** अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप संचालक (ख.प्रशा.)
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़,छत्तीसगढ़–496001

क्रमांक 1986 / ख.लि.–2 / 2024, रायगढ़, दिनांक 26/07/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– अवैध भण्डारण की जानकारी बाबत्।

–::00::–

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) के भ्रमण दिनांक 24.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में रायगढ़ जिले में खनिज रेत के अवैध भण्डारण से संबंधित जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार हैः–

खनिज विभाग रायगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2024 समय 8:00 AM को ग्राम उसरौट, तह0 रायगढ़ स्थित रेत खदान का उपस्थित ग्रामवासियों एवं सरपंच के समक्ष खनिज अमला रायगढ़ द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर स्वीकृत रेत खदान पर उत्खनन कार्य बंद होना पाया गया। मौका जांच करने पर श्री नमो नारायण पटेल आ0 श्री गेंदालाल पटेल निवासी–उसरौट, तह. व जिला– रायगढ़ के द्वारा स्वीकृत रेत खदान से लगभग 3000 घमी. खनिज रेत का उत्खनन कर नदी तट से लगे हुये शासकीय भूमि पर भण्डारण किया जाना पाया गया। अतएव श्री नमो नारायण पटेल निवासी–उसरौट, तह. व जिला– रायगढ़ पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)(5) के तहत् अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज किया गया, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

26/7

उप संचालक (ख.प्रशा.)
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

LiFE Lifestyle for Environment

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
टी.व्ही.टॉवर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID: roraigarh.cecb@gmail.com

जावक क्र. 921 /क्षे. का./प.सं.मं./2024 रायगढ़, दिनांक 25/07/24

प्रति,

श्री नमो नारायण पटेल
प्रोपराईटर,
मेसर्स उसरौट सैण्ड माईंस,
ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– बिना वैध सम्मति के रेत खदान संचालन करने के संबंध में नोटिस बाबत्।

संदर्भ :– 1. उद्योग द्वारा सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10/07/2024.
2. इस कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 24/07/2024.

– – 00 – –

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम–उसरौट स्थित रेत खदान हेतु सम्मति आवेदन संदर्भ क्रमांक–01 के माध्यम से किया गया है। सम्मति परिपेक्ष्य में रेत खदान का निरीक्षण दिनांक 24/07/2024 को किया गया। निरीक्षण में आपके द्वारा जनवरी 2024 से खदान में उत्खन्न कार्य प्रारंभ करने की जानकारी दी गई है। बिना वैध सम्मति के खन्न/उत्पादन कार्य किया जाना जल एवं वायु अधिनियमों का उल्लंघन है।

अतः 10 दिवस के भीतर उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके रेत खदान के ऊपर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. जावक क्र. 922 /क्षे. का./प.सं.मं./2024 रायगढ़, दिनांक 25/07/24

प्रतिलिपि :– उप संचालाक (खनि प्रशासन), रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

D:\New PC\Patel sir\All Letter-Patel sir.docx